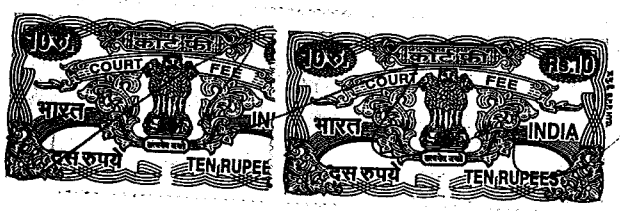

निग/3052/II/15

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प भोपाल

पुनरीक्षण प्रकरण कं.....

डालचंद पुत्र श्री बाबूलाल कुशवाहा
आयु 48 वर्ष निवासी–कन्नोद रोड
आष्टा जिला सीहोर --- पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक

विरूद्ध

म.प्र.शासन द्वारा तहसीलदार
आष्टा पता–तहसील कार्यालय
तहसील आष्टा जिला सीहोर --- उत्तरदाता/अनावेदक

कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 न्यायालय, तहसीलदार आष्टा के न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.08.15 प्रकरण कं. 74/अ–68/14–15 के विरूद्ध निम्न तथ्यों एंव आधारों पर पुनरीक्षण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता हैः–

1. यह कि प.हं.न 49 के द्वारा एक प्रतिवेदन पंचनामा पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक ने शासकीय भूमि सर्वे नंबर 315 रकवा 1.639 नोईयत पाल तलाब के 20x40 वर्गफिट का अतिकमण कर अवैध कब्जा किया है।
2. यह कि तहसीलदार के न्यायालय से सूचना प्राप्त होने के उपरांत पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक सूचना पत्र प्राप्त होने के पश्चात स्वयं अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रकरण में उपस्थित हुआ और अपनी आपत्ति तहसीलदार महोदय के न्यायालय में लिखित में प्रस्तुत की।
3. यह कि पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक द्वारा यह आपत्ति ली गयी थी कि 1. तहसीलदार महोदय को उक्त प्रकरण को सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि संपत्ति नगर निगम सीमा के अंदर है। 2. 20x40 हेक्टेयर/एकड पर अतिकमण करना बताया

निरंतर...2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3052 –तीन/2015 जिला–सीधी

स्थान तथा दिनांक	डालचन्द कार्यवाही तथा आदेश म0प्र0शासन	पक्ष कारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–9–2015	आवेदक की ओर से इन्दु अवस्थी अधिवक्ता उपस्थित । आवेदक अभिभाषक को सुना गया । आवेदक अभिभाषक द्वारा वही तर्क प्रस्तुत किए जो निगरानी मेमों में अंकित है । निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों पर विचार किया गया एवं निगरानी मेमो के संलग्न अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक–17.8.15 का अवलोकन किया गया । आदेश दिनांक–17.8.15 के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रथमतः यह आपत्ति उठायी गयी थी कि नगर पालिका सीमा में तहसीलदार को अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के अधिकार नहीं है । तथा द्वितीय यह कि कथित अतिक्रमण का सीमाज्ञान नहीं किया गया है । उक्त बिन्दुओ के संबंध में यह स्पष्ट है कि शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण चाहे वह नगर पालिका सीमा का हो या किसी अन्य स्थान पर सभी प्रकार के अतिक्रमण हटाने की अधिकारिता तहसीलदार को प्राप्त है एंसी स्थिति में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करने में एवं आपत्ति निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है । वहीं दूसरा बिन्दु अतिक्रमण की सीमा ज्ञान से संबंधित है जिसके संबंध में तहसीलदार द्वारा सीमांकन हेतु संबंधित राजस्व निरीक्षक को आदेश दिए गये है । ऐसी स्थिति में उपरोक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि तहसीलदार का आदेश दिनांक–17.8.15 उचित होने से उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है,जो स्थिर रखा जाता है । उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी प्रकट हो रहा है कि वर्तमान मे तहसीलदार के उक्त आक्षेपित आदेश से आवेदक के किसी भी प्रकार के हित प्रभावित हुए हो ऐसी भी कोई संभांबना नहीं है । उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान कर संहिता में निहित प्रावधानों के अनुसरण में प्रकरण का विधि अनुसार नीतिगत निराकरण करें । उपरोक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । पक्षकार सूचित हो । सदस्य	